मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल, (म.प्र.)

Madhya Pradesh Bhoj(Open) University, Bhopal (M.P)

(Accredited with Grade 'A' by NAAC)

(Established under the Act of 1991 by M.P. Legislative Assembly)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव मध्यप्रदेश भोज (भुक्त) विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। संबधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



पता

: राजा भोज मार्ग, कोलार रोड, भोपाल-462016

दूरभाष

: 0755-2492093

फेक्स

: 0755-2424640

वेबसाइट

: https://mpbou.edu.in/

र्डमेल

: registraroffice.mpbou@gmail.com

क्रमांक / 137 / स्था / मप्रभोमुविवि / 2024

भोपाल, दिनांक 08 /04 / 2024

//अधिसूचना//

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा—26(3) (ख) में अंतर्विष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंध बोर्ड की 94वीं बैठक दिनांक 13.12.2022 के बिन्दु कमांक 94(2) में की गई अनुशंसा तथा म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा—26(2) एवं 26(3) में निहित्त शक्तियों के अंतर्गत समन्वय समिति की 101वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 के विषय कमांक—23 (25.8) में किए गए अनुमोदन के अनुपालन में म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के परिनियम—15 जिसमें प्रोविडेंट फण्ड के संबंध में वर्णन है, में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:—

-00	00	00	2.2	
परिनियम कमांक	परिनियम का शीर्षक	परिनियम की कंड़िका कमांक	परिनियम का प्रावधान जिसमें संशोधन किया गया है।	संशोधन उपरांत नवीन प्रावधान
		जिसमें संशोधन किया गया है।		
Statute No- 15	Provident Fund	1. Title of the Statute 2. An Additional Clause No 11 has been added	Title of the Statute-Provident Fund An Additional Clause No 11 regarding payment of Gratuity has been added in Statute - 15	1. Title of the Statute- No- 15 has been amended as "Provident Fund and Gratuity" 2. The following extra Clause No 11 has been added after the Clause no. 10:- 11. The Payment of Gratuity (Madhya Pradesh) Rules, 1973 is applicable to regular officers, employees and teachers of the University. On the retirement of regular officers, employees and teachers of Madhya Pradesh Bhoj (Open) University or due to death during service, the amount of gratuity will be paid as per eligibility, under the prescribed limit. Provided further that any amount outstanding against his name or any amount under liability incurred by such employees shall be deducted from such gratuity.

उपर्युक्त संशोधन समन्वय समिति की बैठक दिनांक 31.01.2024 से प्रभावशील होगा।

रू. कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक / ने अने / स्था. / मप्रभोमुविवि / 2024 प्रतिलिपिः

भोपाल, दिनांक08/04/2024

1. निदेशक, अकादिमक समन्वय विभाग म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3. वेबसाइट प्रभारी, म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4. निज सहायक के माध्यम से मा. कुलपति जी म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

5. मूल नस्ती।

सहा. कुलसचिव